114

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , ॥ मध्यप्रदेश ॥

निगरानी क्रमांक- R 2615-II/13 सन-2013

श्रीमती लडडू बाई पुत्री भैयालाल पटेल
पत्नी श्री विधासागर पटेल निवासी ग्राम
टपरियन॥लखेरी॥ तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. --निगरानीकर्ता/
आवेदिका.

बनाम

1. श्रीमती शांतिबाई पुत्री सुक्की रैकवार
निवासी ग्राम नयागांव तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन

---- उत्तरवादीगण/
अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू रा.सं. 1959.

6/7/13

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक-67/निग./अ-12/2010-2011 में पारित आदेश दिनांक-27.9.2012 से दुखी होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदिका निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करती है:-

1. यह कि निगरानी का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा लखेरी तहसील राजनगर जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर-1471/1/3/2 रकबा 1.500 हे0 भूमि निगरानीकर्ता की भूमिस्वामी स्वत्व की क्रय शुदा भूमि है जिसे निगरानीकर्ता ने वर्ष 2006 में कन्तू पुत्री भूरा अहिरवार से क्रय की थी तथा कन्तू पुत्री भूरा अहिरवार ने उक्त भूमि गनेशा तनय मौना चमार से वर्ष 2004 में क्रय की थी । इस प्रकार जिस दिन से निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि क्रय की थी उसी दिन से ~~xxxxxx~~ निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था परन्तु बाद में निगरानीकर्ता अन्य कामो में व्यस्त होने के कारण उक्त भूमि पर नहीं

मुकेश भार्गव
6-7-13 एडवोकेट
ग्वालियर

शासकीय अभिभाषक
कक्ष को मिला
कॉपी लेना है
1:40 को

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2615—दो / 2013 जिला—छतरपुर

श्रीमती लड्डू बाई विरूद्ध श्रीमती शांतिबाई व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/2/19	आवेदक की ओर से कोई श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरुपर के प्रकरण कमांक 67 / निग. / अ—21 / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 27—09—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 18/02/19	